

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

प्रेस-नोट

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 12 सदस्यों, जिनका कार्यकाल दिनांक 30 जनवरी, 2021 को समाप्त हो रहा है, के कारण होने वाली रिक्तियों की पूर्ति के लिए विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2021 कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम नियत किया है :-

- | | |
|--|---|
| (1) नाम निर्देशन की अधिसूचना का दिनांक- | 11 जनवरी, 2021 (सोमवार) |
| (2) नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक- | 18 जनवरी, 2021 (सोमवार) |
| (3) नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक- | 19 जनवरी, 2021 (मंगलवार) |
| (4) नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक- | 21 जनवरी 2021 (बृहस्पतिवार) |
| (5) मतदान का दिनांक- | 28 जनवरी, 2021 (बृहस्पतिवार) |
| (6) मतदान का समय - | पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक |
| (7) मतगणना का दिनांक- | 28 जनवरी, 2021 (बृहस्पतिवार) सायं 5.00 बजे से |
| (8) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा। | 29 जनवरी, 2021 (शुक्रवार) |

लखनऊ:

दिनांक: 06.01.2021

A.K. Shukla
(अजय कुमार शुक्ला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या: 06(1)/सीईओ-2, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अध्यक्ष/महामंत्री, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
- (5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
- (6) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (9) निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया इस प्रेस नोट को समस्त सगोचर पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (10) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
- (11) निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।

(अवनीश सेक्सेना)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।